

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019—फाल्गुन 15, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्रमांक एफ ए ३-४१/२०१७/१/पांच (२३) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) की धारा ११ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-३-४१/२०१७/१/पांच (४७) दिनांक ३० जून, २०१७ को विखंडित करती है, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है।

2. यह अधिसूचना १ फरवरी, २०१९ से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्रमांक एफ ए-3-41-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-41-2017-1-पांच, (23) दिनांक 6 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 6th March 2019

F A 3-41/2017/1/V (23) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby rescinds this department notification No. F A-3-41/2017/1/V (47) dated the 30th June, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.